

27-10-24 पत्रावली पेश हुई।

प्राचीनी के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 92 क, 188, 207, व 209 को जरिये नोट पेश करने पर खारिज कर दिया गया। अब इस आवेदन को आगे चलाने का कोई अधिकार नहीं रहा है। अतः राजस्व आवेदन इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फासल सुमार होकर दाखिल दफ्तर है।

NO PAGES
[Signature]

सहायक कलेक्टर
(S.D.O) धारीमन्ना

